



इलाहाबाद विकास प्राधिकरण गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

(57)

यह अनुमति केवल उपरोक्त नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई अंतर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मित्त्वयत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबद्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती / श्री मान सिंह पुत्रवध
मान सिंह पिता / पति का नाम श्री मान सिंह
किशोरी देवी

मुहल्ला A No 65 66 67 128 गाँव दुर्गा पार्क नम्बर 45 पञ्जाब
में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, सचिव के विहित भवन चित्र के अनुसार अच्छा
निर्माण अथवा पुनः निर्माण करें।

14/5/2010 2002 9/9-10
13/5/2010

13.5.10
सचिव
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद

नोट :- मार्गदर्शक पत्र केवल प्रतिक्रिया के लिए है।

1. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार नहीं किया जाता है तो उसे गिरवाया जा सकता है। जिसका पूर्ण व्यय भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना सचिव विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये निर्माणाधीन अथवा पुनः निर्माणाधीन होगी तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार की यह अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा सचिव विकास प्राधिकरण द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनवाने वाले से 10 प्रतिशत संयुक्त शुल्क के साथ वसूल किया जायेगा।

2. इस अनुमति-पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ा कर प्राजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोहपा, सीढ़ी, झंझ नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी।



3. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पट्टी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जितना विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।

4. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इंग्लिश वर्जन इलेक्ट्रिसिटी रजुल 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।

5. प्रार्थी को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।

6. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27(1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

13.5.10
सचिव
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद



NO.	DESCRIPTION	UNIT	QTY	PRICE	TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

PROJECT
 CONSTRUCTION OF LATE AND BISHOP HIGH SCHOOL
 IN THE AREA OF ...
 ...
 ...

CLIENT
 ...


DESIGNER
 ...

DATE
 ...

SCALE
 ...

REVISIONS

NO.	DESCRIPTION	DATE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



REMARKS

- 1- ...
- 2- ...
- 3- ...
- 4- ...
- 5- ...
- 6- ...

DETAIL OF W. H. P. AND WELL (S)

SECTION

REPLAN (N.T.S)

MANAGER
 ...



CONSULTANT
 ...

DATE
 ...


SCALE
 ...

REVISIONS


NO.	DESCRIPTION	DATE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10




ELEVATION OF BLOCK-2




SECTION OF BLOCK-2 AT X-X'



PROPOSED GROUND FLOOR PLAN OF BLOCK-2




PROPOSED FIRST FLOOR PLAN OF BLOCK-2


PROJECT	
COMPLETING "LATE NAND KISHORE SINGH DEGREE COLLEGE" BUILDING PLAN ON ARAZI NO. 128, AT MALIHA DHANUHA, PARGANA ARAIL, TEHSIL KARCHANA, ALLAHABAD	
DRG. NO.	HMC/COMP./2024/14/18
DRG.	PROP. BLOCK-2
SHEET NO.	3
SIZE	A1
DATE	JAN. 09
SCALE	1:200
DEALT BY:	CHANDRA DEEP PRAJAPATI
CHECKED BY:	Dr. MITLESH KUMAR
SIGN. OF MANAGERS	 Dr. Mitlesh Kumar <small>Dr. (Arch.) (C.E.)</small> <small>Member of Engineers (Arch.)</small> SIGN. OF ENGINEERS

MANAGER
 LATE NAND KISHORE SINGH
 DEGREE COLLEGE

HOME CONSULTANT
 28/27B-A NAYA PURA STANLEY ROAD
 ALLAHABAD, PIN 20202-24/INDIA




ELEVATION OF BLOCK-1



SECTION OF BLOCK-1 AT C-D


ELEVATION OF PROPOSED TOILET BLOCK

PLAN OF PROPOSED TOILET BLOCK




SECTION OF PROPOSED TOILET BLOCK AT A-B

EXISTING TERRACE PLAN OF BLOCK (scale-1:200)



EXISTING GROUND FLOOR PLAN OF BLOCK-1



EXISTING FIRST FLOOR PLAN OF BLOCK-1

PROJECT	
COMPOUNDING "LATE NAND KISHORE SINGH DEGREE COLLEGE" BUILDING PLAN ON APAZI NO-128, AT MALUZA CHANLUHA, PARGANA ARAL, TEHSIL KAROHANA, ALLAHABAD.	
DRG. NO.	HMC/COMP-20/24/JAN/09
DRG.	EXIST. BLOCK-1 & PROP. TOILET BLOCK
SHEET NO.	2
SIZE	A1
DATE	JAN 09
SCALE	1:200
DEALT BY	CHANDRA DEEP PRASAD
CHECKED BY	E. MITHLESH KUMAR
SIGN OF MANAGERS	SIGN OF ENGINEERS
MANAGER LATE NAND KISHORE SINGH DEGREE COLLEGE	ENGINEER E. Mithlesh Kumar B.Tech (Civil), IIT Reg. No. UP/0000022 The Institution of Engineers (India)
HOME MARK'S AND CONSULTANTS 29/770-A, MAIN ROAD, STANLEY ROAD, ALLAHABAD. PH 0532-244885	